प्रेस को जानकारी टिप्पण

(प्रेस विज्ञप्ति संख्या 82/ 2020)

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

तत्काल जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2020(वर्ष 2020 का सातवां) जारी किया जाना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आज दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण (ग्यारहवां संशोधन) विनियम, 2020(वर्ष 2020 का सातवां) जारी किया।

2. इस संशोधन के अधिनियमन के साथ दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग सेवाओं के लिए एक विनियामक ढ़ांचे की व्यवस्था करते हुए एक नया अध्याय जोड़ दिया गया है। यह संशोधन, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का एक अन्य कदम है ताकि अधिक बिल के परिणामस्वरूप होने वाली हानि से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाया जा सके।

3. व्यापक परामर्श प्रक्रिया के पश्चात् संशोधन किया गया था जहां परामर्श पत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट पर हितधारको की टिप्पणियों तथा प्रति टिप्पणियों को आमंत्रित करने के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट पर रखा गया था। टिप्पणियां/प्रति टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात्, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने वीडियो कान्फ्रेसिंग पद्धति के माध्यम से एक खुला मंच चर्चा आयोजित की। ऑनलाइन खुला मंच चर्चा ने हितधारकों को परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने तथा अपने बहुमूल्य दृष्टिकोण को साझा करने के लिए एक अन्य अवसर उपलब्ध कराया।

4. अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल रोमिंग (आईएमआर), जो एक देश में किसी मोबाइल आपरेटर को समान हैंडसेट तथा मोबाइल नम्बर का उपयोग करते हुए दूसरे देश में किसी आपरेटर से सेवाएं (वॉयस, एसएमएस अथवा डाटा) प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, दूरसंचार सेवाओं का एक क्षेत्र है जो अधिक बिल के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की घटनाओं से भरा हुआ है। तदनुसार, परामर्श पत्र में विभिन्न उपायों की चर्चा की गई जिन्हें अधिक बिल के परिणामस्वरूप होने वाली हानि की घटनाओं को समाप्त करने अथवा उसमें काफी कमी करने के लिए विहित किया जा सकता है। परामर्श प्रक्रिया के दौरान हितधारकों से प्राप्त जानकारियों के आधार पर, प्राधिकरण ने आईएमआर सेवाओं के विभिन्न पहलुओं अर्थात् प्रशुल्क का चयन, डाटा उपयोग, ऐसे क्षेत्र में सेवाएं प्राप्त करना जो सब्सक्राइब किए गए प्रशुल्क के तहत कवर नहीं है, से संबंधित जानकारी मुहैया करवाने के लिए अपेक्षाओं में वृद्धि करने निर्णय लिया। इसके अलावा, गलती से उपयोग किए जाने तथा परिणामस्वरूप प्रभारों के उद्ग्रहण से बचने के लिए प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है कि 'डिफाल्ट' रूप में आईएमआर सेवाओं को असक्रिय रखा जाए तथा केवल उपभोक्ताओं के अनुरोध पर ही उन्हे सक्रिय किया जाए। उपर्युक्त सभी बदलावों को दूरसंचार उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2012 में सम्मिलित किया गया है तथा वे इसके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर लागू होंगे।

5. इन संशोधनों के साथ परामर्श की प्रक्रिया के दौरान हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच का विवरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

6. किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के मामले में श्री कौशल किशोर, सलाहकार (एफ एंड ईए), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण से ई– मेल आईडी advfea1@trai.gov.in अथवा दूरभाष नम्बर +91–11 23230752 पर संपर्क किया जा सकता है।

ह/–
(एस0 के0 गुप्ता)
सचिव

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।